

30 जून, 2026

कार्यालय आदेश

गन्ना उद्योग विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत निम्नांकित कर्मियों को उनके वर्तमान पद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर कॉलम-3 में अंकित कार्यालय/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम/पदनाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	श्री विकांत ठाकुर, निम्नवर्गीय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर।	प्रतिनियुक्त गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
2	श्री कुणाल कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	

2. यह आदेश पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी समझा जाय।
3. पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(अनिल कुमार झा)

ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञापाक- 158/CC

पटना, दिनांक- 30 जून, 2026

प्रतिलिपि:- सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/उप निदेशक, ईख विकास, पटना/संबंधित कर्मी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी कर्मियों को अविलम्ब विरमित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञापाक- 158/CC

पटना, दिनांक- 30 जून, 2026

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञापाक- 158/CC

पटना, दिनांक- 30 जून, 2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञापाक- 158/CC

पटना, दिनांक- 30 जून, 2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईख आयुक्त, बिहार।

पत्रांक :- 158/CC /

/पटना, दिनांक- 30 जून 2026

प्रतिलिपि :- आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईख आयुक्त, बिहार।